मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रशासन प्रभाग

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल।

क्रमांक /स्था/प्रशा/पविनि/16 भोपाल, दिनांक /01/2016

//आदेश//

अधोलिखित उम्मीदवार को **उपयंत्री** के पद पर वेतन बैण्ड **9300-34800** ग्रेड पे **3200** में न्यूनतम मूलवेतन **(9300+3200) = 12500/-** एवं समय-समय पर निगम द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं देय अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

| क्र. | नाम एवं पता | पदस्थापना स्थान |
|---|---|---|
| 1 | श्री अभिषेक गोंड पुत्र श्री राजबहादुर गोंड, म.नं. 30, संजय कॉलोनी, विदिशा 464001(म.प्र.) मो. 7592407923 | निगम मुख्यालय, भोपाल |

उक्त नियुक्ति के लिये म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंध का अनुपालन किया गया है एवं महिलाओं के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया गया है।

**नियुक्ति की शर्ते :-**

1. भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे तथा उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सेवा (आचरण) उपविधियां 2004 के अंतर्गत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा तीन वर्ष की अवधि के अन्दर किसी भी पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं। तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाने पर नोटिस की अवधि तीन माह अथवा उसके स्थान पर तीन माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. एक माह/तीन माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह/तीन का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जाएगी।
4. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपना कार्यभार पदस्थापना स्थान पर ग्रहण करेंगें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के संबंध में अपना स्वलिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज सही है यदि भविष्य में फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा एवं नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

क्रमशः

6. यह कि आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

<u>प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।</u>

महाप्रबंधक (प्रशासन)

पृ. क्रमांक 491 /स्था/प्रशा/पविनि/16 भोपाल, दिनांक 12/01/2016

<u>प्रतिलिपिः</u>- समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम मुखयालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, निगम मुखयालय भोपाल।
3. निज सहायक, अपर प्रबंध संचालक, निगम मुखयालय भोपाल।
4. कार्यपालिक निदेशक (PPS/OVC), निगम मुखयालय भोपाल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुखयालय भोपाल।
6. महाप्रबंधक, (वित्त) निगम मुखयालय भोपाल।
7. श्री अभिषेक गोंड पुत्र श्री राजबहादुर गोंड, म.नं. 30, संजय कॉलोनी, विदिशा 464001 (म.प्र.)।
8. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

12.1.2016
महाप्रबंधक (प्रशासन)